स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत हैं।

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42 अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–646/दस–5–2020... दिनांक 11 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीया,
11/4/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–249(1)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0 तददिनांकः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या– 249/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त,
   लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2020**

विषय: कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन–रात ड्यूटी में लगे हुए हैं।

2. कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड–19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है। कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड–19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त स्वीकृति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था तथा साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

4. उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या –533/पांच–1–2020–आर0(533)/2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स,

महत्वपूर्ण/संशोधन

संख्या–249 (2)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक अप्रैल, 2020

विषय–कोविड–19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04 (जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

उपर्युक्त स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक कोविड–19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था तथा साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीया,
11/4/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 249(3)/ /एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

11.4.2020

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव

Scanned with CamSc

प्रेषक,

निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-116 / बा0वि0परि0 / स्था–4 / 2021–2021 दिनांक 21. मई, 2021

विषय– विभाग के अधिकारी / कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोविड–19 का टीकाकरण कराने एवं कोविड–19 से सम्बन्धित ड्यूटी के दौरान संक्रमण के कारण उनके असामयिक निधन होने पर नियमानुसार उनके आश्रितों को रूपये 50 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए गठित निगरानी समिति या सर्वे कार्य हेतु गठित समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग के निर्देशन में निरन्तर फ्रन्टलाईन वर्कर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकारी / कर्मचारी भी आपके निर्देशन में कोविड–19 संक्रमण के बचाव से सबन्धित किसी न किसी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए निरन्तर कार्य करने के कारण ये भी संक्रमित हो रहे है। यह अत्यन्त दुःखद है कि अद्यतन विभाग के कुल 11 अधिकारी / कर्मचारी व कुल 72 आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं का कोविड–19 संक्रमण से असामयिक निधन हो गया है और अभी भी कुल 426 अधिकारी / कर्मचारी तथा कुल 441 आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाएं कोविड–19 से संक्रमित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग के समस्त अधिकारी / कर्मचारी व समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोविड–19 का टीकाकरण कराने तथा विभाग के जिन अधिकारी / कर्मचारी या आंगनबाड़ी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं का कोविड–19 से सम्बन्धित ड्यूटी के दौरान कोविड–19 संक्रमण के कारण असामयिक निधन हो गया है, उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–249 / एक–11–2020–04(जी0) / 2015 टी0सी0 दिनांक 11.04.2020 के अनुपालन में नियमानुसार रूपये 50 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन — / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

Scanned with CamScanner

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0।

कोविड–19 संक्रमण से सम्बन्धित जनपदवार सूचना

दिनांक 18.05.2021

क्र0	जनपद का नाम	ज़िला कार्यक्रम अधिकारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सहायक-अपर सांख्यकीय अधिकारी	लिपिक संवर्ग	मुख्य सेविका	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कुल संक्रमित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या	कोविड-19 संक्रमण से मृत अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या	कोविड -19 से कुल संक्रमित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/ सहायिकाओ की संख्या	कोविड -19 से मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/ सहायिकाओ की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	AGRA	1	1	0	2	0	0	0	4	0	1	0	
2	ALIGARH	1	1	0	0	2	0	0	4	0	10	1	
3	AMBEDKARNAGAR	0	0	0	0	3	0	0	3	0	1	0	
4	AMETHI	0	1	0	2	3	0	0	6	0	1	1	
5	AMROHA	0	0	0	1	2	0	2	5	0	5	0	
6	AURAIYA	0	1	0	1	1	0	1	4	0	0	0	
7	AYODHYA	0	0	0	1	1	0	0	2	0	3	2	
8	AZAMGARH	1	1	0	0	1	0	0	3	0	4	3	
9	BAGHPAT	0	1	0	0	2	0	0	3	0	5	0	
10	BAHRAICH	1	4	0	3	3	1	0	12	0	5	1	
11	BALLIA	1	2	0	6	1	0	2	12	0	16	1	प्रभारी डी0पी0ओ0
12	Balrampur	1	2	0	2	1	0	0	6	0	5	0	
13	Banda	1	2	0	7	13	2	11	36	0	0	0	
14	BARABANKI	0	1	0	0	6	0	0	7	0	20	4	
15	BAREILLY	1	0	0	4	3	0	2	10	0	0	0	
16	BASTI	0	0	0	1	1	0	1	3	1	12	0	
17	BHADOHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	BIJNOR	0	1	0	1	3	0	0	5	0	7	1	
19	BUDAUN	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	0	
20	BULANDSHAHR	0	2	0	0	4	0	0	6	0	9	3	
21	CHANDAULI	1	2	0	1	5	1	0	10	0	4	1	
22	CHITRAKOOT	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	
23	DEORIA	0	2	0	0	4	0	0	6	1	0	0	

Scanned with CamScanner

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0।

कोविड–19 संक्रमण से सम्बन्धित जनपदवार सूचना

दिनांक 18.05.2021

क्र0	जनपद का नाम	ज़िला कार्यक्रम अधिकारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सहायक-अपर सांख्यकीय अधिकारी	लिपिक संवर्ग	मुख्य सेविका	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कुल संक्रमित अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	कोविड-19 संक्रमण से मृत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	कोविड -19 से कुल संक्रमित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/सहायिकाओ की संख्या	कोविड -19 से मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/सहायिकाओ की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ETAH	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	
25	ETAWAH	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
26	FARRUKHABAD	0	0	0	0	1	0	0	1	1	12	4	
27	FATEHPUR	0	1	0	1	6	0	0	8	0	0	0	
28	FIROZABAD	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
29	G BUDDH NAGAR	0	1	0	3	2	0	0	6	0	6	1	
30	GHAZIABAD	1	0	0	0	2	0	0	3	0	2	1	
31	GHAZIPUR	0	2	0	1	10	0	0	13	0	40	1	
32	GONDA	0	1	0	1	3	0	0	5	0	2	0	
33	GORAKHPUR	1	1	0	5	2	0	0	9	0	29	8	
34	HAMIRPUR	1	1	0	1	4	0	0	7	0	0	0	प्रभारी डी0पी0ओ0
35	HAPUR	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	
36	HARDOI	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	
37	HATHRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	JALAUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	JAUNPUR	0	2	0	4	4	2	0	12	0	16	0	
40	JHANSI	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	
41	KANNAUJ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
42	KANPUR DEHAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
43	KANPUR NAGAR	0	3	0	0	8	0	0	11	0	4	1	
44	KASGANJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	KAUSHAMBI	1	0	0	0	2	0	0	3	1	1	1	
46	KHERI LAKHIMPUR	1	3	0	6	5	0	1	16	0	3	3	

Scanned with CamScanner

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0।

कोविड–19 संक्रमण से सम्बन्धित जनपदवार सूचना

दिनांक 18.05.2021

क्र0	जनपद का नाम	ज़िला कार्यक्रम अधिकारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सहायक-अपर सांख्यकीय अधिकारी	लिपिक संवर्ग	मुख्य सेविका	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कुल संक्रमित अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	कोविड-19 संक्रमण से मृत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या	कोविड -19 से कुल संक्रमित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/सहायिकाओ की संख्या	कोविड -19 से मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/सहायिकाओ की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	KUSHINAGAR	0	0	0	0	4	0	0	4	0	37	7	
48	LALITPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
49	LUCKNOW	1	2	0	3	9	0	1	16	0	15	3	
50	MAHARAJGANJ	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	
51	MAHOBA	0	2	0	1	2	0	0	5	0	0	0	
52	MAINPURI	0	1	0	0	1	0	0	2	0	5	5	
53	MATHURA	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	
54	MAU	0	3	0	2	7	0	0	12	0	4	0	
55	MEERUT	0	2	0	0	1	0	0	3	0	11	2	
56	MIRZAPUR	0	2	0	1	2	0	0	5	0	4	0	
57	MORADABAD	1	0	0	0	7	0	0	8	0	0	0	
58	MUZAFFARNAGAR	0	0	0	0	4	0	0	4	0	8	2	
59	PILIBHIT	0	1	0	1	1	0	0	3	1	11	2	
60	PRATAPGARH	0	0	0	1	1	0	1	3	0	4	0	
61	PRAYAGRAJ	1	2	0	0	8	1	1	13	0	0	0	
62	RAEBARELI	0	2	1	4	3	1	0	11	1	5	1	
63	RAMPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	SAHARANPUR	1	2	0	0	3	0	0	6	1	28	3	प्रभारी डी0पी0ओ0
65	SAMBHAL	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	
66	SHAHJAHANPUR	0	5	0	1	1	0	0	7	0	7	1	
67	SHAMLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	
68	SHRAVASTI	0	2	0	2	1	0	0	5	0	5	0	
69	SIDDARTHNAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

संलग्नक –यथोक्त।

Scanned with CamScanner

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0।

कोविड–19 संक्रमण से सम्बन्धित जनपदवार सूचना

दिनांक 18.05.2021

क्र0	जनपद का नाम	ज़िला कार्यक्रम अधिकारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सहायक-अपर सांख्यकीय अधिकारी	लिपिक संवर्ग	मुख्य सेविका	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कुल संक्रमित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या	कोविड-19 संक्रमण से मृत अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या	कोविड -19 से कुल संक्रमित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/ सहायिकाओ की संख्या	कोविड -19 से मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/ सहायिकाओ की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	SITAPUR	0	6	0	2	11	0	1	20	1	11	4	
71	SONBHADRA	0	1	0	2	8	0	0	11	1	8	0	
72	ST KABIR NAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	SUTANPUR	0	1	0	1	2	0	1	5	0	14	0	
74	UNNAO	0	1	0	0	11	1	1	14	1	1	1	
75	VARANASI	0	2	0	1	4	0	1	8	[illegible]	1	1	
	TOTAL	**18**	**79**	**2**	**78**	**212**	**10**	**27**	**426**	**1[illegible]**	**441**	**72**	

Scanned with CamScanner